संकल्प सं० : SUDA/AMRUT/BPA_ Architect Registration-54/2016..............

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– अमृत योजना अन्तर्गत झारखंड राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आर०आर०डी०ए०), खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) एवं अन्य सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों में ऑन लाइन भवन नक्शा अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली (Online Building Plan Approval Management System) लागू करने हेतु वास्तुविद्/अभियन्ता/सरंचना अभियन्ता/नगर निवेशक/पर्यवेक्षक/ड्राफ्टमैन (Architect/Engineer/Structural Engineer/Town Planner/ Supervisor/Draftsman) के निबंधन के संबंध में।

अमृत योजना के अन्तर्गत इंगित सुधार कायक्रमों में ई–गवर्नेस सुधारों के तहत भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण एवं ले आउट प्लान के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार एवं अन्य सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करते हुए ऑन लाईन पद्धति का अधिष्ठापन किया जाना है।

इस क्रम में विकसित किया गया ऑन लाईन भवन नक्शा अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली (Online Building Plan Approval Management System) राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं अन्य सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों में लागू किया जाना है।

2. इस व्यवस्था के तहत आवेदक के द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में निबंधित वास्तुविद्/अभियन्ता/सरंचना अभियन्ता/नगर निवेशक/पर्यवेक्षक/ड्राफ्टमैन (Architect/Engineer/Structural Engineer/Town Planner/Supervisor/Draftsman) के स्तर से तैयार किए गए भवन निर्माण/ले आउट प्लान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जमा किए जायेंगे।

3334
21/06/16

3. भवन निर्माण/ले आउट प्लान की स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में संबंधित शहरी निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में कार्य करने के लिए वास्तुविद्/अभियन्ता/सरंचना अभियन्ता/नगर निवेशक/पर्यवेक्षक/ड्राफ्टमैन (Architect/Engineer/Structural Engineer/Town Planner/Supervisor/Draftsman) का निबंधन किया जायेगा।

4. इस ऑन लाईन व्यवस्था के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं ले आउट प्लान की स्वीकृति हेतु वस्तुविद/अभियन्ता एवं अन्य तकनीकी कर्मियों के निबंधन की पद्धति निम्न प्रकार होगी:–

4.1 आवेदक सर्वप्रथम निबंधन शुल्क तथा अनिवार्य निम्नांकित दस्तावेजों को सिंगल विण्डो प्रणाली के जरिए संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के कार्यालय में जमा करेंगे। वस्तुविद/अभियन्ता एवं अन्य तकनीकी कर्मियों के निबंधन शुल्क का चालान/चेक/ड्राफ्ट/Online Payment पद्धति (जो प्रभावी हो) के माध्यम से जमा किया जायेगा।

4.2 वस्तुविद के निबंधन हेतु निम्नांकित शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदक वर्णित अनिवार्य दस्तावेजों एवं शुल्क के साथ संबंधित निकाय में आवेदन जमा कर सकेगे।

Sl No	Technical Personnel	Qualification (as per building Bye Laws)	Mandatory Documents	Fee (One time)	Renewal Fee
1	Architect	Degree in B Arch or equivalent	Matric Certificate	One time Fee of Rs. 1000	NA
			COA Registration		
			Experience Certificate		
			Proof of ID and Address		
			PAN No		
			Photographs		

4.3 नगर निवेशक/अभियन्ता/संरचनात्मक अभियन्ता के निबंधन हेतु निम्नांकित शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदक वर्णित अनिवार्य दस्तावेजों एवं शुल्क के साथ संबंधित निकाय में आवेदन जमा कर सकेंगें।

3334
21/06/16

Sl No	Technical Personnel	Qualification (as per building Bye Laws)	Mandatory Documents	Fee (for calendar year)	Renewal Fee (for next calendar year)
2	Town Planner	Post Graduate/ Diploma in Town Planning	Matric Certificate	Rs. 5000	A sum of Rs 1000
			ITPI Registration		
			Experience Certificate		
			Proof of ID and Address		
			Photographs		
3	Engineer	Degree in Civil Engineering or Equivalent	Matric Certificate	Rs. 5000	A sum of Rs 1000
			Membership from Institutions of Engineers		
			Experience Certificate		
			Proof of ID and Address		
			PAN No		
			Photographs		

4	Structural Engineer	Degree in Civil Engineering or Equivalent	Matric Certificate Membership from Institutions of Engineers Experience Certificate (5 yrs of experience in Structural Engineering Practice) Proof of ID and Address PAN Nos Photographs	Rs. 5000	A sum of Rs 1000
5	Supervisor/ Draftsman	Diploma in Civil or Architecture or Draftsmanship in civil or architectural Assistance ship	Matric Certificate Experience Certificate (2 yrs of experience on building design, construction, supervision) Proof of ID and Address PAN Nos Photographs	Rs. 2000	A sum of Rs. 500

4.4 आवेदक द्वारा जमा कराए गए अनिवार्य दस्तावेज संबंधित निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के प्राधिकृत सहायक/लिपिक को ऑन लाईन उपलब्ध हो जायेंगे।

4.5 प्राधिकृत सहायक/लिपिक के द्वारा ऑन लाईन सिस्टम के माध्यम से शुल्क जमा होने के उपरांत आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज निकाय में यथा प्राधिकृत पदाधिकारी यथा– नगर निवेशक (Town Planner), सहायक अभियंता (Assistant Engineer), अथवा कनीय अभियंता (Junior Engineer) को समीक्षा हेतु ऑन लाईन उपलब्ध करा दिए जायेंगे।

4.6 प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुरूप सही पाए जाने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम पदाधिकारी को स्पष्ट अभ्युक्ति अनुशंसा के साथ ऑन लाईन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अथवा

जाँच किए गए दस्तावेज सही नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदक को अभ्युक्ति के साथ दस्तावेजों को दोबारा समर्पित करने हेतु परामर्शित किया जाएगा।

4.7 संबंधित आवेदकों के निबंधन प्रमाण पत्र (Registration Certificate) निर्गत करने के पश्चात् Login ID/Password एक सप्ताह के अंदर संबंधित निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय विकास प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना SMS/E-mail द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4.8 संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के द्वारा प्राप्त आवेदनों को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। 15 दिनों के उपरान्त सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य शर्तो का पूरी रहने की स्थिति में निबंधन स्वतः मान्य समझा जायेगा।

5. सभी स्थानीय निकाय/राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/माडा/सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार उपरोक्त कार्य के सम्पादन के दौरान झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं झारखण्ड भवन उपविधि 2016 द्वारा स्थापित नियमों/परिनियमों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्ति करेंगे।

आदेश – यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

20.6.16

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – **SUDA/AMRUT/BPA_ Architect Registration-54/2016** 3334 राँची, दिनांक 21/06/16

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– **SUDA/AMRUT/BPA_ Architect Registration-54/2016** 3334 राँची, दिनांक 21/6/16

प्रतिलिपिः—माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर निवेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/ सभी आयुक्त/ उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी शहरी स्थानीय निकाय/प्रबंध निदेशक, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आर०आर०डी०ए०)/प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माडा) को सूचनार्थ/श्री कुणाल कुमार को सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित हेतु प्रेषित।

20.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।